मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

अंधविश्वासी पुस्तकें अज्ञानी विज्ञान 3
खेती चरते योगी के सांड 4
हत्यारे राम-रहीम की साथी सरकारें 5
मोदी की राह रोकता गठबंधन 6
भूपेंद्र हुड्डा से मुक्ति ? 8

वर्ष 34 अंक -9 फ़रीदाबाद 13-19 जनवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹2.50

फ़र्जी हस्ताक्षर करने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर एफ़एसएल जेल जाने के बावजूद चार्जशीट नहीं

करनाल (म.मो.) मधुबन पुलिस कॉम्पलेक्स स्थित एफ़एसएल (फ़ॉरेंसिक सांईस लैब) में असिसटेंट डायरेक्टर अजित ग्रेवाल ने अपने डायरेक्टर श्रीकांत जाधव आईपीएस के फ़र्जी दस्तखत करके एक पत्र राज्य के गृह सचिव एसएस प्रसाद को भेजा।

भेद खुलने पर डायरेक्टर ने थाना मधुबन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467,468,471 व 120 बी के तहत एफआईआर नम्बर 371 दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को दर्ज करा कर ग्रेवाल को गिरफ़्तार करा कर जेल तो भेज दिया परन्तु 20 दिन जेल में रहने के बावजूद गृह सचिव ने न तो आज तक मामले का कोई संज्ञान लिया, न ग्रेवाल को सस्पेंड किया और न ही चार्जशीट किया।

राज्य भर में होने वाले अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिये पुलिस का एफ़एसएल विभाग मधुबन में स्थित है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच हेतु राज्य के तमाम थानों से सारे केस यहीं पहुंचते है। राज्य के अन्य विभागों की तरह यहां भी भ्रष्टाचार, हरामखोरी व रिश्वतखोरी का बोलबाला प्राय: रहा है।

अजित ग्रेवाल यहां बलेस्टिक ब्रांच में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थे। उन्होंने सरोज देवी नामक एक सीनियर साईंटिफ़िक असिस्टेंट को अपनी ब्रांच में ट्रांसफर कराने के लिये एक क्लर्क से कहा कि वह इस सम्बन्ध में डायरेक्टर की ओर से गृह सचिव को एक पत्र लिखे । क्लर्क ने कहा कि डायरेक्टर साहब कहेंगे तो ही वह ऐसा पत्र टाइप करेगा। कुछ दिन बाद ग्रेवाल ने इसी क्लर्क से कहा कि उसकी डायरेक्टर साहब से बात हो गयी है, वह पत्र तैयार कर दे तो वह खुद साहब से साइन करा लेगा।

क्लर्क, ग्रेवाल के बहकावे में आ गया। उसने पत्र लिख कर फ़ाइल सहित ग्रेवाल को सौंप दिया। करीब दो सप्ताह बाद ग्रेवाल ने फ़ाइल वापस क्लर्क को लौटा दी और कहा कि साहब ने दस्तखत कर दिये थे और पत्र डिसपैच हो गया है। कुछ दिन बाद जब सरोज देवी का बैलेसटिक ब्रांच में तबादले का आदेश डायरेक्टर के सामने पुट अप हुआ तो वे हैरान हो गये, क्योंकि सरोज उस ब्रांच में जा ही नहीं सकती थी। दूसरी ओर डायरेक्टर ने सरोज की तैनाती किसी और स्थान के लिये पहले से ही मांगी हुई थी।

जांच-पड़ताल करने पर डायरेक्टर को पता लगा कि सरोज के उक्त तबादले के लिये उनके हस्ताक्षर से ही गृह सचिव को पत्र लिखा गया था। डायरेक्टर ने उस पत्र के हस्ताक्षर को अपने अन्य हस्ताक्षरों से मिलान हेतु अपनी ही लैब में भेजा तो हस्ताक्षर नकली पाया गया। इसके बाद उन्होंने यही जांच दिल्ली स्थित अन्य एफ़एसएल में बोर्ड बिठवा कर भी कराई। पूर्णतया पुष्टि हो जाने के बाद उक्त मुकदमा

दर्ज कराया गया जिसमें तरह-तरह की अड़चनों के बाद 29 अक्तूबर को ग्रेवाल की गिरफ़्तारी हो पाई। जानकार बताते हैं कि प्रभावशैली पैरवी के चलते अभियुक्त को 19 नवम्बर को जमानत मिल गयी।

इतना सब होने के बावजूद न तो गृह सचिव प्रसाद ने और न ही डीजीपी बलीजत संधू ने इस मामले का कोई संज्ञान लिया। इस पर डायरेक्टर जाधव ने पुलिस रूल के उस नियम के तहत जिसमें 48 घंटे जेल में रहने पर कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है, ग्रेवाल को सस्पेंड कर दिया। परन्तु यदि उसे 3 माह में चार्जशीट भी नहीं मिली तो उसे बहाल करके पुन: धोखा-धड़ी व अन्य हेरा-फ़ेरी करने के लिये तैनात कर दिया जायेगा।

पुलिस विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी का इस तरह के मामले में जेल जाने के बावजूद राज्य पुलिस प्रमुख व गृह सचिव, जिनका कार्यालय भी इस घपले में शामिल है, पूरी तरह से आंखें मूंदे बैठे हैं। मुख्यमंत्री श्रीमान खट्टर जी का तो कहना ही क्या, गृह मंत्रालय तो जरूर अपने कब्जे में ले रखा है परन्तु करना-धरना कुछ नहीं। खाली 'भ्रष्टाचार मुक्त' के जुमले ही छोड़ सकते हैं वे।

हरामखोरी व रिश्वतखोरी का अजब आलम

ग्रेवाल जैसे अधिकारी का मामला प्रकाश में आने के बाद **'मज़दूर मोर्चा'** ने एफ़एसएल के और भीतर तक झांकने का प्रयास किया तो अजब हरामखोरी व गजब रिश्वतखोरी देखने को मिली।

मई 2018 के आस-पास जब आईजी जाधव ने यहां बतौर डायरेक्टर चार्ज लिया तो महीने भर में 940 केस ही हल होकर निकलते थे जो अब 2600 केस प्रतिमाह निकल रहे हैं। महिला विरुद्ध अपराध केस जो महीनों तक लटकते थे अब 10 दिन भी नहीं लटके रहते। इस तरह का अब कोई मामला वहां लम्बित नहीं है। जीव विज्ञान व कुछ अन्य ब्रान्चों में केस समाप्त हो जाने के चलते दिसम्बर 2018 में 1989 केस निपटाये गये। मई 2018 में जाधव के चार्ज लेने के समय लम्बित मामलों की संख्या 13400 थी जो आज घट कर 7600 से भी कम रह गयी है।

यहां एक और तमाशा यह भी चलता था कि थानों से पुलिंदा लेकर आने वाले सिपाही को सारा दिन बैठा कर परेशान किया जाता था। परेशानी से बचने के लिये सिपाही से सुविधा शुल्क वसूला जाता था। यही कारस्तानी परिणाम लेने के लिये आने वाले सिपाही के साथ भी होती थी। जाधव ने इसका इलाज करने हेतु वहां सीसी टीवी कैमरे लगवा दिये, जिनकी वे खुद निगरानी भी करते। साथ में अपना मोबाइल नम्बर भी दीवार पर लिखवा दिया कि कोई भी परेशानी होने पर सिपाही सीधे उन्हें फ़ोन करे। बस इतने भर से समस्या दूर हो गयी।

रिश्वत लेकर परिणामों में देरी करने, खुर्द-बुर्द करने या दोषी के हक में परिणाम देने की शिकायतों की भी काफ़ी सुनवाई करके उन्हें भी दूर किया।

इसका स्थाई एवं पुख्ता हल निकालने के लिये जाधव ने कम्प्यूटराइज़्ड बार कोडिंग सिस्टम लागू करने का प्रोग्राम भी तैयार कर लिया है जिसे वे शीघ्र लागू कराने की तैयारी में हैं। इस सिस्टम से एफ़एसएल वालों को पता ही नहीं चल पायेगा कि जिस केस को वे कर रहे हैं वह किस थाने का है। जब परिणाम तैयार हो जायेगा तो कम्प्यूटर के जरिये ऑन लाइन सीधे सम्बन्धित थाने में पहुंच जायेगा। इससे परिणामों में होनेवाली हेरा-फ़ेरी तो समाप्त होगी ही साथ में परिणाम लेने के लिये आने-जाने वाले सिपाहियों का आवागमन भी बचेगा।

लेकिन इस प्रोग्राम से जिन हरामखोरों व रिश्वतखोरों के पेट पर लात लगने वाली है वे सब संगठित होकर हर कीमत पर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। डीजीपी संधू और गृह सचिव प्रसाद की चुप्पी से भी यही संदेश मिल रहा है।

नगर निगम में हरामखोरी व रिश्वतखोरी का नंगा नाच

फ़रीदाबाद (म.मो.)। हरामखोरी व रिश्वतखोरी के बल पर जनता का अरबों रुपया डकार चुके निगम अधिकारी शहर को स्मार्ट तो क्या बनायेंगे, इसका हर संभव तरह से सत्यानाश करने में पूरे जी-जान से जुटे हुए हैं।

शहर में अवैध निर्माण खुले धड़ल्ले से हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्डरों को किसी कानून कायदे की कोई परवाह नहीं। ताजातरीन उदाहरण सैक्टर-11 स्थित ई-ब्लाक के प्लॉट नम्बर 48ए का है। 274 वर्गगज के इस प्लॉट में बिल्डर ने पूरी गुंडागर्दी दिखाते हुए शत प्रतिशत प्लॉट को खोद दिया हे जबकि बेसमैंट के लिए प्लॉट का 10 फुट आगे व 10 फुट पीछे का भाग छोड़ना जरूरी है। इतना ही नहीं बराबर वाले बने हुए मकान की दीवार से 8 फुट छोड़कर ही बेसमैंट के लिय खुदाई की जा सकती है। लेकिन बिल्डर

शेष पेज दो पर

अनीता यादव ने एमसीएफ कमिश्नर का पद संभालते ही शाइन पर प्रहार किया

फ़रीदाबाद (म.मो.)। नगर निगम आयुक्त मोहम्मद शाइन के तबादले के बाद हरियाण की खट्टर सरकार को उनके स्थान पर नियुक्ति करने में कई सप्ताह लग गये। वैसे यह कोई नई बात भी नही, अक्सर नगर निगम बिना कमिश्नर के ही चलता रहता हैं।

बीते सप्ताह अनिता यादव ने यह पद संभाला लिया। पदभार संभालते ही उन्होंने नगर निगम के बारे में जो कहा वह अभूतपूर्व है। अब तक आम जनता एवं मीडिया वाले ही नगर निगम को कोसते रहते थे, अब पहली बार किसी निगमायुक्त ने शहर भर में सड़ रहे कूड़े के ढेरों व कामकाज में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर अपने मातहत अधिकारियों की अच्छी खासी खिंचाई की। उन्होंने अधिकारियों पर करदाता के पैसे का दुरुपयोग करने को सीधा आरोप भी लगाया।

ध्यान से देखा जाये तो यह पूर्ववर्ती निगमायुक्त शाइन की नाकारा कार्यप्रणाली

शेष पेज दो पर